(भारत के राजपत्र, भाग2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत-सरकार
कार्मिक, लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 2005

अधिसूचना

सा.का.नि.......... केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) 'धारा' से उक्त अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध, दस रूपए की आवेदन फीस के साथ होगा, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को संदेय होगा ।

4. धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी:-

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रूपए;

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;

(ग) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पाँच रूपए की फीस ।

5. धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फ निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय ह प्रभारित की जाएगी:-

(क) डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति डिस्केट फ्लॉपी, पचास रूपए; और

(ख) मुद्रित प्ररूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत क पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए रूपए ।

(हरि कुमार)
निदेशक
[फा.सं.-34012/8(एस.)/2005-स्थापना

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

सं.-34012/8(एस.)/2005-स्थापना(ख) नई दिल्ली, दिनांक 16 सितंबर, 2005

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
6. सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव ।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय ।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी अधि और अनुभाग ।

(हरि कुमार)
निदेशक